

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय,
मुरादाबाद मण्डल।

पत्रांक: आशु०लि०/एन०ओ०सी०/ 8430-8530/2015-16

दिनांक: 15-10-15

विषय:— सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उ०प्र० सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र की शर्तों की पूर्ति सम्बन्धी आख्या, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार विद्यालय भवन सुरक्षित होने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होने के सम्बन्ध में मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर०टी०ई०) में निहित प्राविधानों के अनुपालन सम्बन्धी आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महादय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि आपके विद्यालय को सी०बी०एस०ई० / आई०सी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु उ०प्र० शासन द्वारा विभिन्न प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के उल्लिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति अनिवार्य रूप से करने की अपेक्षा आपसे की जाती है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप निर्मित होने के सम्बन्ध में सक्षम सहायक अभियन्ता का प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाना, विद्यालय में अग्निशमन सम्बन्धी अपेक्षित व्यवस्था पूर्ण होने के सम्बन्ध में मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर०टी०ई०) में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। आशा है कि आप द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही होगी।

उपर्युक्त की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जानी आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न विन्दुओं की सूचना/अभिलेख 15.11.2015 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:—

- वर्ष 2015-16 के शैक्षिक सत्र में प्रवेश की कार्यवाही की जा चुकी होगी। एन०ओ०सी० की शर्त के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/इसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विनिन्न कठाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। अतः आप कृपया 30.09.2015 की रिस्ति के अनुसार कक्षा/अनुभागवार छात्र संख्या एवं उसमें अध्ययन रत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की संख्या का विवरण निम्न प्रारूप-1 पर तथा उनसे लिये जा रहे शुल्क का विवरण प्रारूप-2 पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:—

प्रारूप-1

कक्षा	अनुभाग	पंजीकृत छात्र संख्या			पंजीकृत छात्रों में अनुसूचित जाति की छात्र संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8

PRINCIPAL
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
Fatehpur Mafi, Distt. Amroha
Affi. No. 2131566

MANAGER
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
VILL.-FATEHPUR MAFI, JOYA DISTT.-AMROHA

प्रारूप-2

कक्षा	अनुभाग	कक्षावार लिये जा रहे शुल्क का विवरण			अनुसूचित जाति के छात्रों से लिये जा रहे शुल्क का विवरण		
		शिक्षण शुल्क	अन्य शुल्क	योग	शिक्षण शुल्क	अन्य शुल्क	योग
1	2	3	4	5	6	7	8

- 2- विद्यालय का आय-व्यय लेखा वर्ष 2013.14 तथा 2014.15, जो चार्टेड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित हो, की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।
- 3- विद्यालय की प्रबन्ध समिति की विगत बैठक कब हुयी तथा उसमें शिक्षा निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि/संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को बुलाये जाने हेतु प्रेषित पत्र की छाया प्रति तथा बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।
- 4- विद्यालय को संचालित करने वाली सोसायटी/ट्रस्ट के समृद्धि पत्र तथा नियमावली की प्रमाणित छाया प्रति तथा सोसायटी होने की दशा में नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाने का प्रतिबन्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित है। अतः निम्न प्रारूप-3 पर स्टाफ स्टेटमेंट तथा दिये जा रहे वेतन की पुष्टि में माह सितम्बर 2015 की प्रमाणित छाया प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रारूप-3

क्र० सं०	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण योग्यता	शैक्षिक अनुभव	बैंक का नाम जिसमें खाता है	खाता संख्या, जिसके माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 6- सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप बनायी गयी कर्मचारियों की सेवा शर्तों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।
- 7- 2014-15 में सेवानिवृत हुये कर्मचारियों, यदि हों, को अनुमन्य सेवा निवृति लाभ का विवरण उपलब्ध कराया जाय।
- 8- आप द्वारा विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपञ्च पंजिकाओं में रखा जाया होगा। ऐसे अभिलेखों/पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराया जाय ताकि निरीक्षण के समय उनका निरीक्षण किया जा सके।
- 9- पाठ्य पुस्तकों के मानकानुसार प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कक्षावार प्रयोग की जा रही पाठ्य पुस्तकों की सूची उपलब्ध करायी जाय।
- 10- विद्यालय में वर्तमान में लागू स्कूल ड्रेस किस तिथि को लागू की गयी है, का विवरण उपलब्ध कराया जाय।
- 11- विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप निर्मित होने के सम्बन्ध में सक्षम सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में से किसी एक) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।
- 12- विद्यालय में अग्निशमन सम्बन्धी अपेक्षित व्यवस्था पूर्ण होने के सम्बन्ध में मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।

13- मिला का अधिकार अधिनियम (आर०टी०ई०) की अनुपालन आख्या उल्पब्ध करायी जाय।

(3)

- 14— विद्यालय में उपलब्ध भूमि का विवरण उद्धरण खतौनी तथा राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाय।
- 15— विद्यालय भवन में निर्मित शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, प्रशासनिक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, शिक्षक कक्ष आदि का विवरण निम्न प्रारूप-4 पर उपलब्ध कराया जाय :—

प्रारूप-4

कक्षों की संख्या	कक्ष की भीतरी माप (मीटर में)	छत का विवरण	कक्ष का उपयोग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

- 16— विद्यालय में उपलब्ध फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, खेल सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, कम्प्यूटर आदि की सूची उपलब्ध करायी जाय।
- 17— विद्यालय में लागू पी0एफ0 योजना का विवरण, विद्यालय प्रबन्धकारिणी के अंशदान की दर एवं पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराया जाय।
- 18— विद्यालय की पूर्णांक संख्या एवं ई-मेल संख्या निम्न प्रारूप-5 पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रारूप-5

क्र० सं0	पदनाम	नाम	दूरभाष सं0 कोड सहित	गोबाइल संख्या	ई-मेल संख्या	विद्यालय की बेबसाइट
1	प्रबन्धक					
2	प्रधानान्वार्य					
3	कार्यालय					
4	अन्य					

नोट: विद्यालय से संबंधित समस्त सूचनायें विद्यालय की बेबसाइट पर भी अपलोड की जांय, ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी जाने वाली सूचना सम्बन्धी आवेदन पत्रों का निस्तारण समय से हो सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार वॉल्ड सूचनायें एवं अभिलेख (बुकलेट के रूप में बाइनिंग कराकर) निर्धारित तिथि तक दो-दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि तदनुसार समीक्षा की जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप द्वारा एन0ओ0सी0 के प्रतिबन्धों तथा विभाग/शासन/सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं। कृपया प्रकरण को शीर्ष वरीयता प्रदान करें।

वादपात्र,

(योगेन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
उसी तिथि को।

पृ० सं०: आशु०लि०: / एन०ओ०सी०/

/ 2015-16

प्रतिलिपि आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।


PRINCIPAL
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
Fatehpur Mafi, Distt. Amroha
Affl. No. 2131566

(योगेन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।


MANAGER
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
VILL.-FATEHPUR MAFI, JOYA DISTT.-AMROHA